भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3567
दिनांक 24.07.2019/2 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

पत्रकारों पर हमले

3567. श्री जी॰ सी॰ चन्द्रशेखरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पत्रकारों पर हमलों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;
(ख) क्या भारत रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स द्वारा तैयार किये गये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2019 में दो रैंक घटकर 140 पर पहुंच गया है;
(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारों पर बढ़ते हमलों के संबंध में अध्ययन हेतु किसी समिति का गठन किया है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के क्या-क्या निष्कर्ष/सिफारिशें हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और
(च) सरकार देश में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) व्यावसायियों की पृथक श्रेणियों के संबंध में हमलों का आंकड़ा प्रकाशित नहीं करता है।

(ख) और (ग): सरकार को 'रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्स' द्वारा किए गए 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019' सर्वेक्षण के परिणामों के संबंध में आई मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है। तथापि,

रा.स.अ.प्र.सं. 3567

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने रिपोर्टों की प्रमाणिकता और विश्वसनीयता तथा देश को रैंक करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति और रैंकिंग देने के आधार पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

(घ) और (ङ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारों की सुरक्षा के मामले की जांच करने के लिए एक उप-समिति गठित की थी। इस समिति ने दिनांक 23.04.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तथा पत्रकारों की संरक्षा और सुरक्षा के संबंध में सिफारिशें की थी। गृह मंत्रालय ने उपर्युक्त रिपोर्ट की जांच की और यह समझा जाता है कि मौजूदा कानून ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

(च): प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने से संबंधित अपनी नीति के अनुसरण में, सरकार मीडिया की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रतिष्ठापित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और मानदंडों को बनाए रखने एवं इनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), एक सांविधिक स्वायत निकाय की स्थापना की गई है।

*****